न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/360

1. श्याम सिंह रघुराज जाति राजपूत निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. भंवर सिंह आत्मज रघुराज जाति राजपूत निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल उर्फ पप्पू आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. तस्वीर बाई पत्नी प्रभूलाल जाति मीणा निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. जयशंकर आत्मज गोबरी लाल जाति मीणा निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. गोबरी लाल आत्मज रामा जाति मीणा निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
5. जगदीश आत्म्ज रामसहाय जाति मीणा निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शक्ति शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92 (क) के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 743 रकबा 1.80 हैक्टर ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण एवं उनके परिवार के सदस्य निरन्तर, निर्बाध रूप से काबिज काश्त रहकर पेनेल्टी राज्य सरकार को नियमानुसार जमा कराते हुए चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादीगण को इस आराजी से बदेखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह जबरन ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को काश्त कार्य करने से नहीं रोके व वादीगण की फसल को जबरन ताकत के बल पर नहीं काटे और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.11.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.11.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये उक्त निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले कई वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट ताकत के बल पर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र 29.11.2017 को ही प्रस्तुत कर दिया था परन्तु न तो निर्णय लिखाया गया और न ही नकल दी गई । बार–बार सम्पर्क करने पर यही बताया गया कि नकल तैयार होने पर सूचना दे दी जावेगी । दिनांक 07.03.2018 को नकल तैयार कर अपीलान्ट के अभिभाषक को दी गई । उसके उपरान्त अपील तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था । दावे में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी अपीलान्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये थे जिसका अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काफी वर्षों से काबिज है । रेस्पोडेन्ट ताकत के बल पर अपीलान्ट को बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी का वाद खारिज किया है । अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब के कोई समुचित कारण नहीं बताए हैं । वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं है । वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं हैं इसलिए उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 743 रकबा 1.80 हैक्टर वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है । इस पर वादी का कब्जा काश्त है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें ।

12. पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया किया गया जिसमें खसरा परिवर्तशील सम्वत् 2061 के अनुसार खसरा नम्बर 753 रकबा 3.64 हैक्टर सरकारी आराजी है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर खसरा परिवर्तनशील के आधार पर अपीलान्ट वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा का दाव पेश किया है । खसरा परिवर्तनशील में जो इन्द्राज किया जाता है उसके आधार पर तहसीलदार के द्वारा धारा 91 एल0आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है । स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता खातेदार कृषक को ही प्रदान की जा सकती है सरकारी सिवाय चक आराजी पर अपीलान्ट वादी को स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा